|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **मिशन अंत्योदय प्रश्नोत्तर** | | | | | | | | | | | |
| **एमए पैरामीटर संख्या** | **विकास क्षेत्र** | **स्ट्रैट-उम** | **मापदण्ड नाम** | **कोड का विवरण** | **कोड** | **निर्देश** | **डाटा स्‍त्रोत** | **शर्तें / सत्यापन** | **श्रेणी** | **जियोटैगिंग** | **विषय** |
| A.1 |  |  | जिले का नाम | नाम: |  | भारत की जनगणना के आधार पर प्रयुक्त रोप डाउन मेनू |  |  | Text |  |  |
|  |  |  | विकास ब्‍लॅक का नाम |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2 |  |  | नाम: | Text |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | क्या यह ग्राम पंचायत ग्राम है |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | हां | Text |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | नहीं |  | प्रश्‍न पर जाएं |  |  | Text |  |  |
|  |  |  | ग्राम पंचायत ग्राम का नाम |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3 |  |  | नाम: | Text |
|  |  |  |  |  |
| A.4 |  |  | ग्राम का नाम | नाम: |  |  |  |  | Text |  |  |
| **मूल मापदंड** |  |
| 1 |  | कृपया बताएं कि गांव किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है | नाम: |  | **हमारे पास इस प्रश्न के लिए ड्रॉपडाउन मेनू हो सकता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों/जिलों की सूची का प्रयोग करें** | जनगणना/पंचायत कार्यालय |  | Text |  |  |
|  |  |  | कृपया बताएं कि गांव किस विधानसभा क्षेत्र में स्थित है |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***उपरोक्त के समान: विधानसभा क्षेत्र/जिला/ब्लॉक*** |  |
| 2 |  |  | नाम: |  | Text |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 और 5 का योग 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए |  |  |  |
| 3 |  | गाँव की कुल जनसंख्या | संख्‍या: |  | 1 to 99999 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | पुरुष | संख्‍या: |  |  |  |  | 1 to 99999 |  |  |
| 5 |  | महिला | संख्‍या: |  |  |  |  | 1 to 99999 |  |  |
| 6 |  | गांव में कुल परिवार | संख्‍या: |  |  |  |  | 1 to 39999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PS |  | संख्‍या |  | 0 to35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | जीपी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत उन्मुख निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | PS |  | संख्‍या |  | क्यू 7 से अधिक नहीं होना चाहिए | 0 to35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **सु शासन** |  | ग्राम पंचायत में वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्‍त किए निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | जीपी कार्यालय / सरपंच / पंचायत सचिव / ई ग्राम स्वराज |  |  |
| 9 | ***(जीपी स्तर पर पूछा जाना है)***  **-जीपी आधारभूत संरचना**  **एवं**  **सेवाएं** | PS | संख्‍या |  | प्रश्‍न 7 से अधिक नहीं होना चाहिए | 0 to35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | क्या सभी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की गई है?  (अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | PI |  | हां |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या सभी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा में अनुमोदित है? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | PI | (एमओएम की जांच करें और रिकॉर्ड करें) | हां |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या सूचना पटल पर प्रदर्शित कार्यों की सूची, उपग्राम के भीतर है, जिसे बस्‍ती द्वारा किया जाता है? (अवलोकन करें और दर्ज करें |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | PI |  | हां |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | जीपी द्वारा गठित स्थायी समितियों की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 13 | PS |  | संख्‍या |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 2021-22 में आयोजित स्थायी समिति बैठक की संख्या (रजिस्टर देखें और रिकॉर्ड करें) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 14 | PS |  | संख्‍या |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | क्या पंचायत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार की है (रजिस्टर देखें और रिकॉर्ड करें) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 15 | PS |  | हां |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | क्या जीपी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान कर रहा है |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 16 | PS |  | हां |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या जीपी आय प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 17 | PS |  | हां |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या जीपी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 18 | PS |  | हां |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या जीपी भवन निर्माण अनुमोदन जारी करने की सुविधा प्रदान कर रही है। |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 19 | PS |  | हां |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या ग्राम पंचायत संपत्ति करों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान कर रही हैfdfgdfg। |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PS |  | हां | 1 |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या जीपी विभिन्न उपयोगकर्ता शुल्कों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान कर रहा है। |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | PS |  | हां |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | PI | ग्राम पंचायत में वन स्टॉप सेंटर की उपलब्धता | हां | 1 | ***यदि कोड 1 है तो कृपया प्रश्न 24 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***25. महिला एवं बाल विकास*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | यदि जीपी में उपलब्ध नहीं है; तो जीपी से दूरी |  |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास*** |
|  |  |  | <1किमी |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | PI |  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या स्थायी समिति में स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधित्व है |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 24 | PS |  | हां |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ग्रामसभा में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशतता (पिछली 2 ग्राम सभाओं का औसत लें) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 25 | PS |  | प्रतिशतता | ***केवल पढ़ने के लिए - गणना करें*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ग्राम सभा में ख्या (2 ग्राम सभा) महिला भागीदारी की सं |  |  |  |  |  |  |  |
| 25a | PS |  | संख्‍या |
|  |  |  |  |
|  |  | ग्राम सभा में पुरूष भागीदारी की संख्या (पिछले 2 ग्राम सभाएं) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 25b | PS |  | संख्‍या |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 2021-22 में आयोजित महिला सभाओं की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PS |  | संख्‍या |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या पंचायत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | PS |  | हां | 1 |
| 27 |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ग्राम पंचायत में जैव-विविधता प्रबंधन समिति कार्यरत है |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | PS |  |  |  |
|  |  |  | हां | 1 |
| 28 |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या जन जैव-विविधता रजिस्टर अपडेट किया गया है? (कृपया रजिस्टर और रिकॉर्ड देखें) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | PS |  |  |  |
|  |  |  | हां | 1 |
| 29 |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | पंचायत भवन की उपलब्धता (अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PI |  | हां |  | जियोटैग किया जाना है |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | जीपी भवन या प्रमुख स्थान में जन सूचना बोर्ड की उपलब्धता (अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | अनुपलब्‍ध |  |
| 31 | PI |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | उपलब्ध और अद्यतन |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | उपलब्ध लेकिन अद्यतन नहीं |  |  |  |  |  |  |
|  |  | किया गया है | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | क्या ग्राम पंचायत भवन में महिलाओं के लिए अलग और कार्यात्मक शौचालय की सुविधा है **(**अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | जियोटैग किया जाना है |
|  | PI |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | हां | 1 |  |
| 32 |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | क्या जीपी में सामुदाय भवन है? |  |  |  |  |  |  | ***29.*** |
|  | PI | **(**अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें) |  |  | जियोटैग किया जाना है | सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव। |
|  |  |  | हां | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ***यदि 2 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 35 पर जाएं*** |  |  |  |  |
| 33 |  | नहीं | 2 |  |
|  |  | क्या ग्राम पंचायत के पास (i) बिजली (ii) महिलाओं के लिए अलग शौचालय (iii) जलापूर्ति की सुविधा वाला सामुदायिक भवन है (अवलोकन और रिकार्ड करें) |  |  |  |  |  |  | ***29.*** |
|  |  |  | सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव। |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | PI |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
|  | PI | i) बिजली | हां | 1 |  |  |  |  |  |
| 34a |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ii) महिलाओं के लिए अलग शौचालय |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PI |  | हां | 1 |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 34b |  |
|  | PI | iii) जलापूर्ति | हां | 1 |  |  |  |  |  |
| 34c |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PS |  |  | प्रश्‍न 7 से अधिक नहीं होना चाहिए |
| 35 |  |  | संख्‍या |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PS | ग्राम पंचायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 7 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***27. कमजोर वर्गों का कल्याण, और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का।*** |
| 37 | PS | क्या पंचायत ने बुजुर्गों, बेघरों और बेसहारा लोगों के लिए कोई सहायता तंत्र स्थापित किया है | हां | 1 |  |  |  |  |  |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | **Agricultureand LandDevelopment, fuel andfodder** | वीएस | प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (पीएमकेआईएसएएन) के तहत लाभ प्राप्त करने वाले गांव में परिवारों की संख्या | संख्‍या: |  |  | कृषि विस्तार अधिकारी/ ग्राम प्रशासनिक अधिकारी/ किसान मित्र/ सीआरपी/ पंचायत सचिव/ पटवारी | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
| 39 | वीआई | गांव की राजस्व सीमा के भीतर सरकारी बीज केंद्रों की उपलब्धता **(अवलोकन और रिकार्ड करें)** | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 41 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  | वीआई | ग्राम में उनके स्थल सीमा के भीतर उपलब्ध न होने पर निकटतम सरकारी बीज केन्द्र की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 41 | वीएस | क्या यह गांव जलागम विकास परियोजना का हिस्सा है | हां | 1 |  |  |  |  | ***3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलागम विकास।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 42 | वीआई | गांव की राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक वर्षा जल संचयन प्रणाली/तालाब/बांध/चेक डैम आदि की उपलब्धता | हां | 1 |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलागम विकास।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 43 | वीएस | क्या गांव में सरकारी योजना के तहत कोई किसान सामूहिक है | किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) | 1 |  |  |  |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | दोनों | 3 |  |  |  |  |
|  | कोई नहीं | 4 |  |  |  |  |
| 44 | वीआई | गांव की राजस्व सीमा के अंदर खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम की उपलब्धता (अवलोकन और रिकॉर्ड करें) | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 46 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | वीआई | यदि गांव में राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है, तो खाद्यान्न भंडारण के लिए निकटतम गोदाम की दूरी; | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 46 | वीआई | गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं की उपलब्धता (अवलोकन और रिकार्ड करें) | हां | 1 |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 47 | वीआई | क्या गाँव की अपनी राजस्व सीमा के भीतर कस्टम हायरिंग केन्‍द्र (कृषि-उपकरण) तक पहुँच है | हां | 1 |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 48 | वीआई | गांव की राजस्व सीमा के भीतर मिट्टी परीक्षण केंद्रों की उपलब्धता (देखे रिकॉर्ड करें) | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 50 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***2. भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण.*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 49 | वीआई | ग्राम में राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध न होने पर निकटतम मृदा परीक्षण केन्द्र की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***2. भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 50 | वीआई | गांव की राजस्व सीमा में खाद दुकान की उपलब्धता (देखे और रिकार्ड करें) | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 52 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | वीआई | ग्राम की राजस्व सीमा के अन्दर उपलब्ध न होने पर निकटतम खाद दुकान की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 52 | वीआई | राजस्व रिकार्डों के अनुसार गांव की राजस्व सीमा के भीतर सामान्य चरागाहों की उपलब्धता | हां | 1 |  | राजस्व/वन विभाग |  |  |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 53 | वीएस | प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत पंजीकृत इस गांव के किसानों की कुल संख्या - सर्वेक्षण की पूर्ववर्ती संचयी संख्या | संख्‍या |  |  | कृषि अधिकारी/ ग्राम प्रशासनिक अधिकारी/ किसान मित्र/ सीआरपी/ पंचायत सचिव |  | 1 to 39999 |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
| 54 | वीएस | इस गांव के किसानों की कुल संख्या जिन्‍होंने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत लाभ प्राप्त किया है | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 53 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | वीएस | वित्त वर्ष 2021-22 में गांव में पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
| 56 | VP | गाँव में वर्तमान में जैविक खेती करने वाले परिवारों की संख्या। | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***1.***  ***कृषि, कृषि विस्तार सहित।*** |
| 57 | वीएस | पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान गांव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***2. भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण*** |
| 58 | वीआई | गांव की सिंचाई का मुख्य स्रोत (नहर-1; सतही जल-2; भूजल-3; अन्य-4) | नहर | 1 |  |  |  |  | ***3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलागम विकास।*** |
|  | सतही जल | 2 |  |  |  |  |
|  | भूजल (नलकूप/कूप/पम्प) अन्‍य | 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VP | ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या | संख्‍या: |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलागम विकास।*** |
| 60 | वीएस | सिंचाई के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र (ड्रिप, स्प्रिंकलर), | हेक्‍टेयर में |  |  |  |  |  | ***3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलागम विकास।*** |
|  | एकड में |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | AnimalHusbandry | वीएस | क्या गांव में पशुधन विस्तार सेवाएं हैं | पशुधन विस्तार अधिकारी | 1 |  | पशुधन विस्तार अधिकारी, पशु सखी, पशु मित्र, गोपाल मित्र |  |  |  | ***4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन।*** |
|  | पशु सखी/पशु मित्र/गोपाल मित्र या समकक्ष | 2 |  |  |  |  |
|  | उपलब्‍ध नहीं | 3 |  |  |  |  |
| 62 | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर दुग्ध संग्रहण केन्द्र/दुग्ध मार्ग/शीतलन केन्द्रों की उपलब्धता (देखे और रिकॉर्ड करें) | हां | 1 |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 63 | वीएस | गाँव में राजस्व सीमा के भीतर कुक्कुट विकास में किसी सहायक परियोजना की उपलब्धता | हां | 1 |  |  |  |  | ***4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन।*** |
|  |  |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 64 | वीएस | गांव की राजस्व सीमा के भीतर बकरी पालन विकास में कोई सहायक परियोजना की उपलब्धता | हां | 1 |  |  |  |  | ***4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 65 | वीएस | गांव की राजस्व सीमा के भीतर सुअर पालन विकास में कोई सहायक परियोजना की उपलब्धता | हां | 1 |  |  |  |  | ***4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 66 | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर पशु चिकित्सा क्लिनिक या अस्पताल की उपलब्धता (देखे और रिकॉर्ड करें) | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 68 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 67 | वीआई | यदि गांव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम पशु चिकित्सा  क्लिनिक या अस्पताल की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन।*** |
|  |  |  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 68 | Fisheries | VP | क्या गाँव में राजस्व सीमा के भीतर कोई परिवार मछलीपालन (अंतर्देशीय मत्स्य पालन/तटीय मत्स्य पालन/अन्य) कर रहा है | हां | 1 |  | मत्स्य विभाग/ग्राम पंचायत कार्यालय/पंचायत सचिव |  |  |  | ***5.मत्स्य पालन।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 69 | वीआई | क्या गांव की राजस्व सीमा के भीतर मत्स्य पालन के लिए उपयोग किए जाने वाले कोई सामुदायिक तालाब हैं (देखें और रिकॉर्ड करें) | हां | 1 |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***5.मत्स्य पालन।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 70 | वीएस | क्या गांव में राजस्व सीमा के भीतर ***मत्स्य पालन*** के लिए कोई विस्तार सुविधाएं हैं | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 72 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***5.*** ***मत्स्य पालन।*** |
|  |  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | वीएस | यदि गांव में राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम विस्तार सुविधाओं की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***5.*** ***मत्स्य पालन।*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 72 | RuralHousing | वीआई | गाँव में कच्ची दीवार/छत वाले परिवारों की संख्या | संख्‍या: |  |  | कार्यालय पंचायत/सचिव/सरपंच/ग्राम प्रधान | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***10. ग्रामीण आवास।*** |
| 73 | वीएस | गाँव में उन परिवारों की संख्या जिन्हें पीएमएवाई/राज्य विशिष्ट आवास योजना प्राप्त हुई है मकान - सर्वेक्षण की तिथि तक  संचयी डेटा | संख्या (संपूरित) |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***10. ग्रामीण आवास।*** |
|  | संख्या  (स्वीकृत) |  |  |  |  |  |
| 74 | वीएस | पीएमएवाई / राज्य विशिष्ट आवास योजनाओं की स्थायी प्रतीक्षा सूची में रहने वाले परिवारों की संख्या - सर्वेक्षण की तिथि तक  संचयी डेटा | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***10. ग्रामीण आवास।*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | **Water &EnवीआईronmentalSanitation** | वीएस | गांव में पाइप जलापूर्ति के क्लोरीनीकरण की प्रणाली की उपस्थिति | हां | 1 |  | पंचायत सचिव/ वीडब्ल्यूएससी/एओ/ एओ/राजस्व अधिकारी/अंचल अधिकारी/पाइप वाटर स्कीम ऑपरेटर |  |  |  | ***11. पेय जल।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 76 | वीएस | वर्तमान में गांव में फील्ड टेस्ट किट का उपयोग कर जल नमूना परीक्षण की व्यवस्था है | हां | 1 |  |  |  |  | ***11. पेय जल।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 77 | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संख्या (कृपया जल संचयन संरचनाओं में से किसी एक का निरीक्षण और रिकार्ड करें) | संख्‍या |  |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलागम विकास।*** |
| 78 | वीएस | क्या गॉंव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का गठन किया गया है | हां | 1 |  |  |  |  | ***3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलागम विकास।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 79 |  | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर जल निकासी सुविधा का सबसे प्रमुख प्रकार क्या है (देखे और रिकॉर्ड करें) | बंद जल निकासी | 1 |  |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं.*** |
|  | खुली पक्की नालियों को स्लैब से ढक दिया गया है | 2 |  |  |  |  |
|  | बिना ढका हुआ खुला पक्का नाला | 3 |  |  |  |  |
|  | खुला कच्छ नाला | 4 |  |  |  |  |
|  | कोई जल निकासी नहीं | 5 |  |  |  |  |
| 80 | वीएस | क्या इस गांव के लिए परिभाषित समुदाय अपशिष्ट निपटान प्रणाली मौजूद है (निपटान/संग्रह) | हां | 1 |  |  |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 81 | VP | क्या गाँव खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) है (उसका ओडीएफ प्रमाण पत्र देखने के बाद रिकॉर्ड करें**)** | हां | 1 |  |  |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 82 | वीआई | गांव में नल कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***11. पेय जल*** |
| 83 |  | ग्राम में राजस्व सीमा के अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों की संख्या | संख्‍या |  | ***यदि ‘0’ कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 85 पर जाएं*** |  | 1 to25 | जियोटैग किया जाना है | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं।*** |
| 84 | वीआई | गांव में दिव्यांगों (विकलांग) के लिए डिज़ाइन किया गया सामुदायिक शौचालयों की संख्या (देखे और रिकॉर्ड करें) | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 83 से अधिक नहीं होना चाहिए | 1 to25 | जियोटैग किया जाना है | ***26. Socialwelfare,includingwelfareofthehandicappedand mentallyretarded.*** |
| 85 | वीएस | क्या गांव में ठोस अपशिष्ट (solid waste)नियमित रूप से एकत्र किया जाता है | हां | 1 |  |  |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं।*** |
|  | नहीं | 2 | ***यदि 2 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 88 पर जाएं*** |  |  |  |
| 86 | वीएस | क्या गांव में ठोस अपशिष्ट को अलग किया जाता है | हां | 1 |  |  |  |  | ***23., स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 |  | वीएस | | क्या गांव में ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाता है | हां | 1 |  |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 88 | वीआई | | गांव में ऐसे परिवारों की संख्या जिनमें स्वच्छ शौचालय नहीं हैं | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
| 89 | **सड़कें और संचार** | वीआई | | क्या गांव बारहमासी सड़क (पक्की सड़कें सीमेंट कंक्रीट से बनी हैं)  से जुड़ा है (देखे और रिकॉर्ड करे) | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 91 पर जाएं*** | पंचायत कार्यालय/स्थानीय समुदाय/अवलोकन |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 90 | वीआई | | आपस में जुड़े हुए, सभी मौसम (पक्की सड़कें सीमेंट कंक्रीट से बनी हैं) में निकटतम सड़क की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 91 |  | वीआई | | क्या गांव में आंतरिक पक्की सड़कें हैं (सीसी/ईंट की सड़कें) (देखें और रिकॉर्ड करें) | पूरी तरह से कवर किया गया | 1 |  |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन*** |
|  | आंशिक रूप से कवर किया गया | 2 |  |  |  |  |
|  | कवर नहीं किया गया | 3 |  |  |  |  |
| 92 | वीएस | | गांव से आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन (बस, ऑटो, टैक्सी आदि) की उपलब्धता | बस | 1 | ***यदि 1-3 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 94 पर जाएं*** |  |  |  | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन*** |
|  | वैन | 2 |  |  |  |  |
|  | आटो | 3 |  |  |  |  |
|  | कोई नहीं | 4 | ***यदि 4 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 93 पर जाएं*** |  |  |  |
| 93 | वीएस | | यदि गांव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम सार्वजनिक परिवहन (बस, ऑटो, टैक्सी आदि) सुविधा तक की दूरी; | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 94 | वीआई | | गांव की राजस्व सीमा के साथ रेलवे स्टेशन की उपलब्धता (देखें और रिकॉर्ड करें) | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 96 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 95 |  | | वीआई | यदि गांव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  |  | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | 10-20 किमी | 5 |  |  |  |  |
|  | >20 किमी | 6 |  |  |  |  |
| 96 | Conventional & नहींn-conventionalEnergy | | वीएस | गांव में घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता | 1-4hrs | 1 |  | लाइनमैन बिजली विभाग/पंचायत कार्यालय/सचिव/ग्राम प्रधान |  |  |  | ***14. बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।*** |
|  | 4-8hrs | 2 |  |  |  |  |
|  | 8-12hrs | 3 |  |  |  |  |
|  | >12hrs | 4 |  |  |  |  |
|  | नहीं electricity | 5 |  |  |  |  |
| 97 | वीएस | गांव में सौभाग्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या - सर्वेक्षण के संचयी आंकड़े | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***14. बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।*** |
| 98 | वीएस | गांव में गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों के लिए बिजली आपूर्ति की उपलब्धता | हां | 1 |  |  |  |  | ***14. बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | वीएस | | गांव में घर के विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों की संख्या | संख्‍या |  |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।*** |
| 100 | वीएस | | गांव में घर के विद्युतीकरण के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों की संख्या | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।*** |
| 101 | वीएस | | गांव में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या - सर्वेक्षण तिथि के अनुसार संचयी डेटा | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।*** |
| 102 | VP | | इस गांव में स्वच्छ ऊर्जा (एलपीजी/बायोगैस) का उपयोग करने वाले परिवारों की कुल संख्या | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***12.*** ***ईंधन और चारा।*** |
| 103 | वीआई | | क्या गाँव की राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक बायोगैस या कचरे के पुनर्चक्रण की व्यवस्था है (देखे और रिकॉर्ड करे) | हां | 1 |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***12.*** ***ईंधन और चारा।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | वीआई | | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित स्ट्रीट लाइटों की संख्या (देखे और रिकॉर्ड करें) | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।*** |
| 105 | वीआई | | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेटों की संख्या गांव की राजस्व सीमा (देखे और रिकॉर्ड करें) | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।*** |
| 106 | वीआई | | ग्राम राजस्व सीमा के अन्दर स्थापित स्ट्रीट लाईट की संख्‍या | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***14. बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।*** |
| 107 | वित्तीय और संचार अवसंरचना | वीआई | | क्या गांव की राजस्व सीमा के भीतर कोई कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) है (देखें और रिकॉर्ड करें) | पंचायत भवन के साथ सह-स्थित | 1 |  | एमपीडीओ, पंचायत कार्यालय/पंचायत सचिव/स्थानीय समुदाय/ग्राम प्रधान |  |  | जियोटैग किया जाना है |  |
|  | अलग स्थित है | 2 |  |  |  |  |  |
|  | सीएससी नहीं | 3 |  |  |  |  |  |
| 108 | वीआई | | क्या गांव की राजस्व सीमा के भीतर कोई पक्का भवन बैंक शाखा उपलब्ध है? | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 110 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है |  |
|  | सं. | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | वीआई | | यदि गाँव में पक्का भवन बैंक शाखा उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम शाखा की दूरी; | <1किमी | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |  |
| 110 | वीएस | | इस गाँव को सेवा देने वाले व्यवसाय प्रतिनिधि की उपलब्धता? | हां | 1 |  |  |  |  |  |
|  | नहीं | 2 | ***यदि 2 कोडित है तो सीधे प्रश्‍न 111 पर जाएं*** |  |  |  |  |
| 110क | वीएस | | क्या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बैंक शाखा/एटीएम के अलावा अन्य स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त खुदरा एजेंट हैं)  गांव में आधारित है या उसका मुख्यालय अलग है। | इसी गांव के रहने वाले हैं | 1 |  |  |  |  |  |
|  | |  | अलग गांव / कस्बे के रहने वाले है | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | वीआई | | गांव की राजस्व सीमा के भीतर एटीएम की उपलब्धता | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 113 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है |  |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 112 | वीआई | | यदि गांव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम एटीएम की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |  |
| 113 | वीएस | | गांव में जन-धन बैंक खाते वाले वयस्कों की संख्या | संख्‍या |  |  | निकटतम बैंक/पंचायत सचिव | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  |  |
| 114 | वीआई | | गांव की राजस्व सीमा के भीतर डाकघर/उप डाकघर की उपलब्धता (देखना और रिकॉर्ड करना) | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 116 पर जाएं*** | एमपीडीओ, पंचायत कार्यालय/पंचायत सचिव/स्थानीय समुदाय/ग्राम प्रधान |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 115 | वीआई | | यदि गांव में उपलब्ध न हो तो निकटतम डाकघर से दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 116 | वीएस | | गांव में टेलीफोन सेवाओं की उपलब्धता | Landline | 1 |  | वीएओ/ट्राई/पंचायत सचिव/वेबसाइट |  |  |  | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।*** |
|  | Mobile | 2 |  |  |  |  |
|  | Both | 3 |  |  |  |  |
|  | नहींne | 4 |  |  |  |  |
| 117 |  | वीएस | | गांव में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सुविधा की उपलब्धता | हां | 1 |  |  |  |  |  | ***13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 118 | ***बाजार और मेले।*** | वीआई | | गांव में राजस्व सीमा के भीतर विभिन्न बाजारों की उपलब्धता | मंडी | 1 | ***यदि 1-3 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 1120 पर जाएं*** | स्वयं सहायता समूह/पंचायत कार्यालय/समुदाय के साथ चर्चा/अवलोकन |  |  |  | ***22. बाजार और मेले।*** |
|  | नियमित बाज़ार | 2 |  |  |  |  |
|  | साप्ताहिक हाट | 3 |  |  |  |  |
|  | कोई नहीं | 4 | ***यदि 4 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 119 पर जाएं*** |  |  |  |
| 119 | वीआई | | यदि गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है; निकटतम बाजार की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***22. बाजार और मेले।*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 120 | **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** | वीआई | | गांव की राजस्व सीमा के भीतर उचित मूल्य की दुकान (पीडीएस के तहत राशन की दुकान) की उपलब्धता (देखना और रिकॉर्ड करना) | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 122 पर जाएं*** | पंचायत सचिव/नागरिक आपूर्ति विभाग/पीडीएस दुकान |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली*** |
|  |  |  | |  | नहीं | 2 | ***यदि 2 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 121 पर जाएं*** |  |  |  |  |  |
| 121 | वीआई | | यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; निकटतम उचित मूल्य की दुकान की दूरी (पीडीएस के तहत राशन की दुकान) | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 122 | वीएस | | अंत्योदय कार्ड/पीएचएच कार्ड  वाले गांव के परिवारों की संख्या |  |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली.*** |
| अंत्योदय कार्ड | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| पीएचएच कार्ड  (प्राथमिकता वाले घरेलू) कार्ड | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 123 | वीएस | | वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र परिवारों की कुल संख्या | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली*** |
| 124 | वीएस | | वित्त वर्ष 2021-22 में गाँव के कुल परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त होता है | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ***पुस्तकालय*** | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर सार्वजनिक पुस्तकालय की उपलब्धता (देखना और रिकॉर्ड करना) | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 127 पर जाएं*** | पंचायत सचिव/निरीक्षण |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***20. पुस्तकालय*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 126 | वीआई | Ifनहींtavailableinthe वीआईllage,the distance tothenearest  PublicLibrary | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***20. पुस्तकालय*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 127 | **मनोरंजन और खेल** | वीआई | गांव की राजस्व सीमा के भीतर मनोरंजन केंद्र/खेलकूद के मैदान आदि की उपलब्धता (देखना और रिकॉर्ड करना) | आंतरिक | 1 |  | पंचायत सचिव |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***21. सांस्कृतिक गतिविधियां*** |
|  | बाहरी | 2 |  |  |  |  |
|  | दोनों | 3 |  |  |  |  |
|  | कोई नहीं | 4 |  |  |  |  |
| 128 | वीआई | क्या गाँव में अपनी राजस्व सीमा के भीतर आवश्यक सुविधाओं के साथ चिल्ड्रन पार्क है (देखना और रिकॉर्ड करना) | हां | 1 |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***29.***  ***सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव*** |
|  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 129 | **शिक्षा/ व्यावसायिक शिक्षा** | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक अनुभाग वाले विद्यालयों की संख्या (देखना और रिकॉर्ड करना) | संख्‍या |  | ***यदि 0 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 136 पर जाएं*** | स्कूल शिक्षक/एचएम/प्रिंसिपल/अभिभावक शिक्षक संघ/सरपंच/पंचायत सचिव |  | 0 to10 | जियोटैग किया जाना है | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 130 | वीआई | प्राथमिक अनुभाग के अंतिम विद्यालय कार्य दिवस में छात्रों की संख्या | संख्‍या |  | ***कृपया गाँव के भीतर उपलब्ध सभी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों को जोड़ें*** |  |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 131 | वीआई | कार्यात्मक बिजली वाले प्राथमिक अनुभागों वाले स्कूलों की संख्या  (देखना और रिकॉर्ड करना) | प्राथमिक विद्यालय की संख्या |  |  | प्रश्‍न 129 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 132 | वीआई | कार्यात्मक शौचालय वाले प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या |  |  |  | प्रश्‍न 129 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
|  |  |  | क. लड़कों का शौचालय (निरीक्षण और रिकार्ड) | प्राथमिक विद्यालय की संख्या |  |  |  | प्रश्‍न 129 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
| ख. लड़कों का शौचालय (निरीक्षण और रिकार्ड) | प्राथमिक विद्यालय की संख्या |  |  | प्रश्‍न 129 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
| ग. दोनों (निरीक्षण और रिकार्ड) | प्राथमिक विद्यालय की संख्या |  |  | प्रश्‍न 129 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| घ. कोई नहीं (निरीक्षण और रिकार्ड) | प्राथमिक विद्यालय की संख्या |  |  | प्रश्‍न 129 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 133 | वीआई | कंप्यूटर लैब के साथ प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या (निरीक्षण और रिकार्ड) | प्राथमिक विद्यालय की संख्या |  |  | प्रश्‍न 129 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 134 | वीआई | खेल के मैदान के साथ प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या  (निरीक्षण और रिकार्ड) | प्राथमिक विद्यालय की संख्या |  |  | प्रश्‍न 129 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 135 | वीआई | पीने के पानी की सुविधा वाले प्राथमिक अनुभागों वाले स्कूलों की संख्या (निरीक्षण और रिकार्ड) | प्राथमिक विद्यालय की संख्या |  |  | प्रश्‍न 129 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***11. पेय जल*** |
| 136 | वीआई | यदि ग्राम राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है तो प्राथमिक खण्ड सहित निकटतम विद्यालय की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
|  | 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
|  | 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
|  | >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 137 | वीआई | गांव में वर्तमान में स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या (6-14 वर्ष)। | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***17.प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 138 | वीआई | गांव में वर्तमान में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों (6-14 वर्ष) की संख्या | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***17.प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 139 | वीआई | 2021-22 शैक्षणिक वर्ष में गांव में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या (6-14 वर्ष) | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 140 | वीआई | गांव में वर्तमान में स्कूल/विशेष स्कूल में नामांकित विकलांग बच्चों की संख्या | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 141 | वीआई | गाँव के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक परिवारों की संख्या जिनके बच्चों को वर्तमान में छात्रवृत्ति मिल रही है - सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार | संख्‍या |  |  | पंचायत कार्यालय /वीओ | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 142 | वीएस | वित्त वर्ष 2021-22 में गांव में आयोजित बालसभा की संख्या | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 143 | वीआई | गांव की राजस्व सीमा के भीतर उच्च प्राथमिक  अनुभाग वाले स्कूल/स्कूलों की संख्या (देखिए और रिकॉर्ड कीजिए) | संख्‍या |  | ***यदि >0 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 145 पर जाएं*** | स्कूल शिक्षक/एचएम/प्रिंसिपल/अभिभावक शिक्षक संघ/सरपंच |  | 0 to5 | जियोटैग किया जाना है | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 144 | वीआई | यदि ग्राम राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है, तो उच्च प्राथमिक  अनुभाग  के साथ निकटतम विद्यालय की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 145 | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर हाई स्कूल अनुभाग  वाले स्कूलों की उपलब्धता (देखना और रिकॉर्ड करना) | हां | 1 | ***यदि कोड 1 है तो कृपया प्रश्न 147 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 146 | वीआई | यदि गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है; हाई स्कूल अनुभाग  ; के साथ निकटतम स्कूल की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 147 | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता (देखना और रिकॉर्ड करना) | हां | 1 | ***यदि कोड 1 है तो कृपया Q149 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | नहीं | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | वीआई | यदि गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है; निकटतम उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 149 | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर डिग्री कॉलेज की उपलब्धता (देखना और रिकॉर्ड करना) | हां | 1 | ***यदि कोड 1 है तो कृपया प्रश्न 151 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 150 | वीआई | यदि गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है; निकटतम डिग्री कॉलेज की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***17.***  ***प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।*** |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| 10-20 किमी | 5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | >20 किमी | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | वीएस | इस गांव के छात्रों की संख्या जो पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्नातक/स्नातकोत्तर बने | संख्‍या |  |  | सरपंच / बीडीओ / बीईओ / एचएम स्कूल |  |  |  |  |
| 152 | वीआई | गाँव की राजस्व सीमा के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र / पॉलिटेक्निक / आईटीआई / आरसेटी / डीडीयू-जीकेवाई की उपलब्धता (देखें और रिकॉर्ड करें) | हां | 1 | ***यदि कोड 1 है तो कृपया Q154 पर जाएं*** | सीआरपी/एसएचजी/पंचायत कार्यालय/अवलोकन |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।*** |
| नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 153 | वीआई | यदि गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है; निकटतम व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र / पॉलिटेक्निक / आईटीआई / आरसेटी / डीडीयू-जीकेवाई की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।*** |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 |  | वीएस | 2021-22 में किसी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित गांव से प्रशिक्षुओं की संख्या | संख्‍या |  |  |  |  |  |  | ***18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।*** |
| 155 | **स्वास्थ्य, पोषण, मातृ एवं बाल विकास और परिवार कल्याण** | वीआई | ग्राम की राजस्व सीमा के भीतर उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी की उपलब्धता |  |  |  | आशा/एएनएम/आईसीडीएस पर्यवेक्षक/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
| 155a | वीआई | उपकेन्द्र | हां | 1 | ***यदि कोड 1 है तो कृपया प्रश्न 155ख पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है |
| नहीं | 2 | ***यदि कोड 2 है तो कृपया Q156 क पर जाएं*** |  |  |  |
| 155b | वीआई | पीएचसी | हां | 1 | ***यदि कोड 1 है तो कृपया प्रश्न 155ख पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है |
| नहीं | 2 | ***यदि कोड 2 है तो कृपया प्रश्न 156 ख पर जाएँ*** |  |  |  |
| 155c | वीआई | सीएचसी | हां | 1 | ***यदि कोड 1 है तो कृपया प्रश्न 157 पर जाएं*** |  |  | जियोटैग किया जाना है |
| नहीं | 2 | ***यदि कोड 2 है तो कृपया प्रश्न 156ग पर जाएं*** |  |  |  |
| 156 | वीआई | यदि ग्राम राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम सीएचसी/पीएचसी/उप केंद्र की दूरी |  |  |  |  |  |  |  |
| *यदि कोड 2 है तो सभी 3 सुविधाओं के लिए अलग-अलग दूरी पूछें। यदि कोई सुविधा या सुविधा उपलब्ध नहीं है तो सुविधा या सुविधा उपलब्ध न होने की दूरी पूछें* |  |  |  |  |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
| 156a |  | वीआई | उप-केंद्र | <1किमी | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 156b | वीआई | पीएचसी | <1किमी | 1 |  |  |  |  |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 156c | वीआई | सीएचसी | <1किमी | 1 |  |  |  |  |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 157 | वीआई | गांव की राजस्व सीमा के भीतर जन औषधि केंद्र की उपलब्धता (देखना और रिकॉर्ड करना) | हां | 1 |  |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
|  | नहीं | 2 |  |  |  |  |
| 158 |  | वीआई | पीएमजेएवाई/राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल निकटतम अस्पताल की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं*** |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 159 | वीआई | ग्राम की राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध आंगनवाड़ी/उपलब्ध आंगनवाड़ी की संख्या | संख्‍या |  | ***यदि 0 रिकॉर्ड किया गया है तो कृपया प्रश्‍न 161 पर जाएं*** |  | 0 to99 | जियोटैग किया जाना है | ***25.***  ***महिला एवं बाल विकास।*** |
| 160 | वीआई | आंगनवाड़ी की संख्या जिसमें योजना के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचा है (बच्चों/महिलाओं के लिए बैठने का कमरा, अलग रसोई, खाद्य पदार्थों के लिए भंडारण स्थान, बच्चों के अनुकूल शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए अलग जगह (इनडोर और आउटडोर गतिविधियां), सुरक्षित पेय जल सुविधा | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 159 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 161 | वीआई | यदि गांव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम आंगनबाडी केन्द्र की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |
| 162 | वीएस | आज की स्थिति के अनुसार गाँव में 0-3 वर्ष के समूह में बच्चों की कुल संख्या | संख्‍या |  |  | बैकएंड में प्रति 1000 (Q3) 40- 60 बच्चों की गणना की जानी चाहिए - नोट: यदि संख्या सीमा से बाहर है तो हम चेतावनी दे सकते हैं |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 163 | वीएस | इस गांव की राजस्व सीमा के भीतर स्थित आंगनबाड़ियों में वर्तमान में पंजीकृत 0-3 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या (एक से अधिक एडब्ल्यूसी के मामले में प्रत्येक एडब्ल्यूसी से संख्या जोड़ें) | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 162 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25.***  ***महिला एवं बाल विकास।*** |
| 164 | वीएस | आज की स्थिति के अनुसार गाँव में 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या | संख्‍या |  |  | बैकएंड में 40-60 बच्चे प्रति 1000 (Q3) की गणना की जानी चाहिए- नोट: यदि संख्या इस सीमा से बाहर है तो हम चेतावनी दे सकते हैं |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 165 | वीएस | ग्राम की राजस्व सीमा के भीतर स्थित आंगनवाड़ी में वर्तमान में पंजीकृत 3-6 वर्ष की आयु के कुल बच्चों की संख्या ***(एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र होने की स्थिति में प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र से संख्याएं जोड़ें)*** | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 164 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 166 | वीएस | गाँव में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण की संख्या |  |  |  | ऑटो योग |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-3 वर्ष | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 162 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 3-6 वर्ष | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 164 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 167 | वीएस | आज तक आईसीडीएस रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव में उनकी उम्र के लिए बहुत छोटा बच्चों की संख्या | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 168 | वीएस | वर्तमान में गांव में गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 169 | वीएस | वर्तमान में गांव में खून की कमी से पीड़ित किशोरियों की संख्या | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 170 | वीएस | बच्चों की संख्या (6-14 वर्ष) जो एनीमिक पाए गए हैं | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 171 | वीएस | इस वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान जन्म लेने वाले कम वजन (एलबीडब्‍ल्‍यू) बच्चों की संख्या | संख्‍या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 172 | वीएस | गाँव में पुरुष बच्चों (0-6 वर्ष) की संख्या | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 172 और प्रश्‍न 173 का योग 166 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  |  |
| 173 |  | वीएस | गाँव में महिला बच्चों (0-6 वर्ष) की संख्या | संख्‍या |  |  |  | प्रश्‍न 172 और प्रश्‍न 173 का योग 166 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 174 | वीएस | वर्ष 2021-2022 में लापता बच्चों की संख्या | संख्‍या |  |  | सीपीयू/वीएलसीपीसी में वीएलसीपीसी/ब्लॉक पीएमयू |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 175 | वीएस | संदर्भ वर्ष (2021-22) में गुमशुदा महिलाओं की संख्या (18 वर्ष और उससे अधिक जिनका अपने घर से पिछले 6 महीनों में संपर्क नहीं हुआ है) | संख्या |  |  | महिला स्वयं सहायता समूह |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 176 | वीएस | 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या | संख्या |  |  | पंचायत कार्यालय (जनसंख्या रजिस्टर से) | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***24. परिवार कल्याण।.*** |
| 177 | वीएस | वर्तमान में गांव में एनीमिक गर्भवती महिलाओं की संख्या | संख्या |  |  | एएनएम/आशा/आईसीडीएस पर्यवेक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | प्रश्‍न 168 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 178 | वीएस | वर्तमान में गांव में आईसीडीएस के तहत सेवाएं प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या | संख्या |  |  | प्रश्‍न 168 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 179 | वीएस | गांव में वर्तमान में स्तनपान कराने वाली माताओं की कुल संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 180 | वीएस | वर्तमान में गांव में आईसीडीएस के तहत सेवाएं प्राप्त करने वाली स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या (प्रत्येक एडब्ल्यूसी से एक से अधिक वेव संख्या के मामले में) | संख्या |  |  | प्रश्‍न 179 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 181 | वीएस | पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) में गाँव में कुल महिलाएं जिन्‍होंने बच्चों को जन्म दिया | संख्या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 182 | वीएस | पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान गांव में संस्थागत प्रसव की कुल संख्या | संख्या |  |  | प्रश्‍न 181 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 183 | वीएस | वित्त वर्ष 2021-22 में इस गांव में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या | संख्या |  |  | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम/आईसीडीएस पर्यवेक्षक/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 184 | वीएस | वित्त वर्ष 2021 में इस गांव में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या=22 | संख्या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 185 | वीएस | वित्त वर्ष 2021-22 में गांव में नवजात बच्चों की कुल संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 186 |  | वीएस | गाँव के बच्चों की कुल संख्या जो वर्तमान में आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हैं | संख्या |  |  |  | प्रश्‍न 166 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 187 | वीएस | आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गांव के युवा एनीमिक बच्चों (0-59 महीने) की संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 188 | वीएस | ग्रामीण संदर्भ वर्ष (2021-22) में मातृ मृत्यु की संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 189 | वीएस | ग्रामीण संदर्भ वर्ष (2021-22) में बाल मृत्यु की संख्या (0-5 वर्ष) | संख्या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 190 | वीएस | संदर्भ वर्ष (2021-22) में गांव में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत पतले हैं  की संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***25. महिला एवं बाल विकास।*** |
| 191 | वीएस | सन्दर्भ वर्ष (2021-22) में गाँव में क्षय रोग के मामलों की संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालयशामिल हैं।*** |
| 192 | वीआई | क्या गांव में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थागत व्यवस्था है | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 194 पर जाएं*** | ग्राम पंचायत कार्यालय/पंचायत सचिव/ई ग्राम स्वराज |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***26. विकलांगों और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक*** |
| नहीं | 2 |  |  |  |  |  |
| 193 | वीआई | यदि गांव में उपलब्ध नहीं है, तो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए घर/क्लिनिक की दूरी | <1किमी | 1 |  |  |  |  | ***26. विकलांगों और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण*** |
| 1-2किमी | 2 |  |  |  |  |
| 2-5 किमी | 3 |  |  |  |  |
| 5-10 किमी | 4 |  |  |  |  |
| >10किमी | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 194 | **कमजोर वर्गों का कल्याण** | वीएस | गांव में सरकारी योजना के तहत विकलांग लाभ प्राप्त करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या | संख्या |  |  | पंचायत कार्यालय/पंचायत सचिव | प्रश्‍न 3 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***27. कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण.*** |
| 195 |  | वीएस | इस गाँव में वर्तमान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)/अंडरस्टेट योजनाओं (वृद्धावस्था/विकलांगता/विधवा) के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या |  |  |  |  |  |  |  | ***27. कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण*** |
| 195a | वीएस | क. वृद्धावस्था | संख्या |  |  |  |  |  |
| 195b | वीएस | ख. विकलांगता | संख्या |  |  |  |  |  |
| 195c | वीएस | ग. विधवा | संख्या |  |  |  |  |  |
| 196 | **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम** | वीएस | मनरेगा के तहत गाँव में वर्तमान में रिजो कार्डधारक व्यक्तियों की संख्या | संख्या |  |  | पंचायत सचिव/सीआरपी/जीआरएस | प्रश्‍न 3 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 197 | वीएस | मनरेगा 2021-22 के तहत गांव में रोजगार प्राप्‍त व्यक्तियों की संख्या | संख्या |  |  | प्रश्‍न 3 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 198 | वीएस | कुल स्वीकृत श्रम बजट चौथा चालू वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23) | रू. में |  |  |  |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 199 | वीएस | एनआरएचएम के तहत स्वीकृत कुल व्यय | रू. में |  |  |  |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
|  |  |  | चालू वित्त वर्ष के लिए श्रम बजट (वित्तीय वर्ष 2022-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | वीएस | वर्तमान में गांव की राजस्व सीमा के भीतर एनआरएलएम के तहत एसएचजी की संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 201 | वीएस | नाबार्ड/पीएमके एसवाई या किसी अन्य राज्य योजना के तहत वर्तमान में गांव में राजस्व सीमा के भीतर एसएचजी की संख्या | संख्या |  |  | सीआरपी/वीओ/पंचायत सचिव/संबंधित सीएलएफ कार्यालय |  |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 202 | वीएस | गांव में राजस्व सीमा के साथ एसएचजीएस में जुटाए गए परिवारों की संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 203 | वीएस | गाँव में एसएचजी की संख्या जो ग्राम संगठनों (वीओ) में संघबद्ध हैं | संख्या |  |  |  |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 204 | वीएस | उत्पादक समूहों (पीजी) में जुटाए गए परिवारों की संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 205 |  | वीएस | इस गाँव के स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्होंने बैंक ऋण प्राप्त किया | संख्या |  |  |  | प्रश्‍न 200 प्रश्‍न 201 के योग से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 206 | वीएस | गांव में आय सृजन गतिविधियों में लगे एसएचजी सदस्यों की संख्या | संख्या |  |  |  |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 207 | वीएस | 2021-22 में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण और बैठकों की संख्या (एसएचजी-पीआरआई अभिसरण) | संख्या |  |  |  |  |  | ***16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।*** |
| 208 | **खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग** | वीएस | मधुमक्खी पालन में लगे गांव में राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या | संख्या |  |  | सीआरपी/वीओ/पंचायत सचिव | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग।*** |
| 209 | वीएस | रेशम उत्पादन में लगे गांव की राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या। | संख्या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग।*** |
| 210 | वीएस | हथकरघा में लगे गांव के राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या | संख्या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग।*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 |  | वीएस | हथकरघा में लगे गांव के राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या | संख्या |  |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग।*** |
| 212 | **सामाजिक वानिकी** | वीआई | गांव की राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक वन की उपलब्धता (अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें) | हां | 1 |  | एएओ/पंचायत कार्यालय/वनसमिति सदस्य-वनरक्षक/बीडीओ/आरएफओ |  |  | जियोटैग किया जाना है | ***6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी।*** |
|  | नहीं | 2 | ***प्रश्‍न 215 पर जाएं*** |  |  |  |
| 213 | वीएस | वाणिज्यिक निष्कर्षण के लिए गैर इमारती वन उपज (एनटीएफपी) की उपलब्धता | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 214 पर जाएं*** |  |  |  | ***7. लघु वनोपज।*** |
|  | नहीं | 2 | ***यदि 2 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 215 पर जाएं*** |  |  |  |
| 214 | वीएस | यदि हां, तो गांव में परिवारों की संख्या जिनकी वार्षिक आय का 50% से अधिक गैर-इमारती वन उपज (एनटीएफपी) संग्रह और बिक्री से आता है। | संख्या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***7. लघु वनोपज।*** |
| 215 | **लघु उद्योग** | वीआई | क्या गांव की राजस्व सीमा के साथ लघु/कुटीर उद्योग हैं? | हां | 1 | ***यदि 1 कोडित है तो कृपया प्रश्‍न 216 पर जाएं*** | बीडीओ/आईटीडीए |  |  |  | ***8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग।*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | नहीं | 2 | ***कृपया साक्षात्कार समाप्त करें*** |  |  |  |  |  |
| 216 | वीआई | यदि हां, तो ऐसी इकाइयों में लगे परिवारों की संख्या | संख्‍या |  |  | प्रश्‍न 6 से अधिक नहीं होना चाहिए |  |  | ***8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग।*** |